राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/425 दिनांकः 04.6.15

समस्त मुख्य प्रबंधक
.... आगार।

विषय– निगम वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स व किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत।

प्रसंग –सचिव निगम के द्वारा प्रेषित अनुमोदित कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 520 दिनांक 22.05.15।

दिनांक 18.05.15 को श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 25 पर निम्न निर्णय लिया गया है।

"सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देशित किया जावे कि सभी वाहनों में परिचालक के पास फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध हो और उडनदस्तों को भी निर्देशित किया जावे कि वाहन निरीक्षण वक्त फर्स्ट एड बॉक्स वाहन में उपलब्ध है अन्यथा नहीं, का भी निरीक्षण किया जावे।"

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ–6/दुर्घ/यां/14/938 दिनांक 19.12.14 से प्रत्येक वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स में औषधि के किट की उपलब्धता अनिवार्य रूप से प्रत्येक वाहन में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाने के लिए मुख्य प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में पुनः लेख है कि मुख्य प्रबंधक सभी वाहनों में परिचालक के पास फर्स्ट एड बॉक्स मय किट के रखवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही वाहन निरीक्षण हित गठित उडनदस्ते के निरीक्षकों/अधिकृत संवर्ग के कर्मचारियों को पाबन्द करें कि वे वाहन निरीक्षण कार्य करते समय वाहन में यात्रियों के उपयोग हेतू फर्स्ट एड बॉक्स मय औषधि किट की उपलब्धता का भी निरीक्षण करें एवं उक्त आश्य की टिप्पणी दैनिक डी.सी.आर. में अंकित करेंगे।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(उर्मिला राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/ 425 **दिनांकः** 04-06-15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव,माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय रा. प. निगम जयपुर।
2 समस्त विभागाध्यक्ष ———————————— रा. प. निगम जयपुर।
3 आदेश पत्रावली।

महा प्रबंधक (निरी./याता.)